गंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अन्वान :- हंसासिंह आदि प्रा. हरबंससिंह व अन्य क्र.स. 23/13

अ०धारा :- 88, 91, 188, 212A RTA

...ख ...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2013/00015

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 223/2013 दायरा दिनांक 13.09.2013

(1) हन्सासिंह उर्फ हन्सराज पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगांनगर वर्तमान निवासी चक 2 एस.जे.एम मोहनगढ़ जिला जैसलमेर
(2) श्री मति बन्तो उर्फ हरबंसकौर पुत्री अमरसिंह पत्नि फौजासिंह जाति निवासी नई मन्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर राज0

– वादीगण –

बनाम

1. हरबन्स सिंह पुत्र अमरसिंह जाति रासिख निवासी चक 2 जी.बी.एम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिल श्रीगंगानगर राज0
2. गुरदेवसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रायसिख साकिन पननीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0
3. मिन्दो पत्नि हरबंश जाति रायसिख साकिन पननीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0
4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री राकेश मन्चन्दा (अभिभाषक वादी)
2. श्री प्रेमन्दर सिंह भाटी (अभिभाषक प्रतिवादी 1 ता 3)

वाद वास्ते घोषणा व अन्य अनुतोष 88, 91, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 24 .12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। अवलोकन किया सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी माता इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिंह के नाम से चक 2 जी.बी.एम तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 नया 8 के प0नं0 55/11 में 3.101 है0 नहरी भूमि दर्ज कागजात राज थी। इन्द्रोबाई का देहान्त दिनक 24.02.2009 को हो गया। जिसके जायज वारिस वादीगण हन्सा सिंह उर्फ हन्सराज पुत्र अमरसिंह व श्रीमति बन्तो उर्फ हरबंस कोर पुत्री अमरसिंह व प्रतिवादी नं0 1 हरबंस सिंह पुत्र अमरसिंह कुल 3 जायज वारिस थे। इन्द्रोबाई के नाम अंकित भूमि में वादीगण 2/3 हिस्सा का बहिस्सा बराबर खातेदार अंकित होने के पात्र थे इसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 2 ता 3 से जालसाजी रच कर प्रतिवादी नं0 2 गुरदेवसिंह पुत्र बुटासिंह व मिन्दो पत्नि हरंबश सिंह को इन्द्रो देवी का वारिस बताकर उक्त भूमि 1/3 हिस्सा प्रत्येक अपने नाम से दर्ज करवा ली। प्रतिवादी सं0 2 ने अपने आप को इन्द्रोबाई का पुत्र बताया। प्रतिवादी सं0 2 गुरदेवसिंह अमरसिंह [illegible] नहीं है ना ही इन्द्रोबाई का पुत्र है इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 3 भी इन्द्रोबाई [illegible] प्रतिवादी सं0 2 की पत्नी है। तमाम तथ्य कुटरचित कर [illegible] नाम नामाकंन करवा लिया इस विषय मे पता लगने पर [illegible] द्वारा नामांतरण के खिलाफ सक्षम अदालत में अपील कि जो विचाराधीन है इसी संबध मे प्रतिवादी सं0 [illegible] 3 के खिलाफ पुलिस विभाग में भी प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जो कि जांच में है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर अधिकारो कि घोषणा हेतू वाद प्रस्तुत किया कि चक 2 जी.बी.एम तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 8 मु0नं0 55/11 के 3.101 है0 भूमि में वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 2 पर

काश्तकार घोषित किया जावें और बाद घोषणा राजस्व रिकार्ड में मुल अंकित काश्तकार इन्द्रोबाई के मृत्यु उपरान्त वादीगण को उक्त भूमि में 2/3 हिस्से का खातेदार अंकित किया जावें। व 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार अंकित कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें कि वे वाद अंकित भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

वाद प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया दिनांक 08.03.2018 को प्रतिवादी नं0 2 ता 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए इसके पश्चात दिनांक 16.08.2018 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की और से अभिभाषक उपस्थित आए जिनका वकालतनामा शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के विरूद्ध कि गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रतिवादी नं0 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई बावजूद सुचना के वे उपस्थित नहीं आए। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके पश्चात जवाब दावा बन्द करके तनकियात कायम कि गई :-

1. आया वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 अंकित काश्तकार इन्दरोबाई पत्नि अमरंसिह कौम रायसिंख साकिन 36 डी तहसील घड़साना के जायज वारिस है ? वादी
2. आया इन्दरोबाई फौत हो चुकी एंव बतौर जायज वारिस वादीगण उसके नाम अंकित भूमि में 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के पात्र है ? वादी
3. आया प्रतिवादी सं0 2 व 3 इन्दरोबाई के वारिस नहीं उनका नाम है उनका नाम अधिकारातीत अंकित होने से पूर्व अंकन कलमजन किये जाने योग्य है ? वादी
4. आया वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है ? वादी
5. अन्य अनुतोष

बाद कायम तनकीयात साक्ष्य लिये गये वादी द्वारा स्वंय के अमरसिंह के हरबंसकौर के ब्यान करवाये मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड वारिस प्रमाण पत्र व फौजा सिह पुत्र जगतारसिंह के ब्यान करवाये गये व बलवीर सिंह पुत्र करतारसिंह के ब्यान करवाये प्रस्तुत साक्ष्य पर प्रदर्श अंकित करवाये प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए ना ही जवाब दावा आया। साक्ष्य व जवाबदावा बन्द कर तर्क सुने गये।

योग्य अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुए व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन करवाया साथ ही अमरसिहं जो कि अंकित काश्तकार इन्द्रोबाई के पति है के शपथ पत्र कि और ध्यान दिलाया और निवेदन किया कि जमाबन्दी के खाता सं0 8 सम्वंत 2067 ता 2070 प0नं0 55/11 मु0नं0 50 किला नं0 13/1 में 0.19 है0, 14 ता 20 में प्रत्येक 0.253 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/2 में 0.229 है0, 23/1 में 0.228 है0, 24/1 में 0.228 है0, [illegible] 0.228 है0 कुल 3.1010 है0 भूमि मुल काश्तकार इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिह [illegible] नाम और खातेदार दर्ज थी। अंकित काश्तकार का निवास चक 3 जीजी तहसील [illegible] बताया गया है। जो कि इन्द्रोबाई के पति अमरसिह [illegible] शपथ पत्र [illegible] फोटो भी अंकित है वाद के कथनों को स्वीकार करते है। व साथ ही यह भी स्पष्ट [illegible] कि इन्द्रोबाई के प्रतिवादी सं0 2 व 3 के कतई वारिस नहीं थे। उनका नाम विरास्तान इन्तकाल कतई गलत दर्ज किया गया है। इन्द्रोबाई के मात्र 3 वारिस थे जो कि हन्सासिंह, हरबंस सिंह पुत्रगण इन्द्रोबाई व हरबंसकौर पुत्री इन्द्रोबाई के वारिस बाद मृत्यु इन्द्रोबाई बनते है जो कि

लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उक्त भूमि के खातेदार कृषक घोषित होने के पात्र है। प्रतिवादी सं0 1 और वादीगण प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार उक्त भूमि में अंकित होने के पात्र है। यह तथ्य वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षयो से पूर्णतया सिद्ध है। जानकारों के ब्यान व स्वंय अमरसिंह के व वादीगण के ब्यान मय साक्ष्य परिवार राशनकार्ड आदि से वादीगण के कथन पूर्णतया सिद्ध होते है। कथनों को बलवीरसिंह पुत्र करतार सिंह स्वतंत्र गवाह द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से पुर्णतया सिद्ध किया गया है। वादीगण के द्वारा सिद्ध किये जाने योग्य तनकीयात वादीगण ने सिद्ध किये है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया ना ही जवाब दावा दिया है। इसलिए वाद वादीगण पुर्णतया सिद्ध होने से वाद स्वीकार कर वादीगण को अनुतोष प्रदान करने कि प्रार्थना कि व वाद अनुतोष अनुसार आदेशित कर डिक्री जारी करने कि प्रार्थना की।

वादी के तर्क सुनने के बाद तर्को के परीपेक्ष में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

1. तनकी नं0 1 :–आया वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 अंकित काश्तकार इन्दरोबाई पत्नि अमरंसिह कौम रायसिंख साकिन 36 डी तहसील घड़साना के जायज वारिस है ?

वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा मुख्य रूप से इन्द्रोबाई के पति अमरसिंह के ब्यान करवाये गये है जिसने शपथ पत्र पर यह कथन किया है कि इन्द्रोबाई उसकी पत्नी थी। जिसका देहावसान हो चुका और उसके मृत्यु उपरान्त उसके 3 वारिस थै हन्सासिंह उर्फ हन्सराज, श्रीमति बन्तो उर्फ हरबंसकौर व हरबन्स सिंह इन्द्रोबाई कि कृषि सम्पती वाद ग्रस्त 1/3 प्रत्येक दर्ज होनी चाहीए थी इन्द्रोबाई के गुरूदेवसिंह और मिन्दो नाम के कोई पुत्र पुत्री नहीं थै। इन्द्रोबाई कि मृत्यु उपरान्त उसकी सम्पती के बारे में जो अधिकार अंकित किये गये है वो साजिशान अंकित किये गये है। इस तथ्य कि पुष्टी सरंपच मोहनगढ़ द्वारा दिये गये वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड प्रस्तुत वादीगण द्वारा पुर्ण रूप से होती है। इसलिए तनकी नं0 1 सन्देह से परे साबित होने से बहक वादी निर्णय कि जाती है।

2. तनकी नं0 3 :–आया इन्दरोबाई फौत हो चुकी एंव बतौर जायज वारिस वादीगण उसके नाम अंकित भूमि में 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित होने के पात्र है ?

वादी

इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस तथ्य को साबित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र फोटोकॉपी इन्द्रोबाई प्रस्तुत कि है इसके अतिरिक्त सरपंच मोहनगढ़ का प्रमाण पत्र एंव इन्द्रोबाई के पति का शपथ पत्र व अन्य गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किए है। इससे यह शपष्ट है कि अंकित काश्तकार इन्द्रोबाई कि मृत्यु हो चुकी है। व वादीगण उसके वारिस है यह तनकी नं0 1 में माना जा चुका है। इसलिए तनकी नं0 2 पुर्णतया सिद्ध होने से बहक वादी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय कि जाती है।

3. तनकी नं0 3 :– आया प्रतिवादी सं0 2 व 3 इन्दरोबाई के वारिस नहीं उनका नाम है उनका नाम अधिकारातीत अंकित होने से पू[illegible] उलमजन किये जाने योग्य है ?

वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी का भार वादीगण पर था। [illegible] करने के लिए वादीगण ने सरपंच मोहनगढ़ जिला जैसलमेर का वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादी नं0 2 व 3 का कही नाम नहीं है। इ[illegible]ाई के पति अमरसिंह पुत्र सज्जूसिंह ने अपने शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि उसके मात्र हंसा सिह उर्फ हंसराज, बन्तो उर्फ हरबंश कौर व हरंबश सिंह 3 ही वारिस थै हरबश सिंह ने अपने साले और पत्नी को इन्द्रोबाई का वारिस बताकर कृषि भूमि अपने साले स्वयम और पत्नी को

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 4 पर

वारिस बनाकर साजिशांन वादग्रस्त भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाया है। यह तथ्य राशन कार्ड आदि से भी सिद्ध होता है कि शपथ पत्र पर दिये गये वादी कि और से करवाये गये ब्यानो से भी वादी के कथनों की पुष्टी होती है। इस आधार पर तनकी नं0 3 सन्देह से परे साबित मानकर बहक वादी निर्णय कि जाती है।

4. तनकी नं0 4 :– आया वाद ग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है ?

वादी

इस तनकी का भार वादी पर था वादीगण ने इसे सिद्ध करने के लिए अपने ब्यान प्रस्तुत किए है जिनका कोई प्रतिउतर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया अधिकारित काश्तकार का कब्जा माना जाने योग्य है। ऐसी साक्ष्य की अवधारणा है। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अधिकारों हेतु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। इसलिए यह तनकी बहक वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण तनकीवार विवेचन के अनुसरण में स्वीकार किया जाता है व जमाबन्दी चक 2 जी.बी.एम तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 8 सम्वत 2067 ता 2070 में इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिंह के नाम अंकित प0नं0 55/11 के मु0नं0 50 किला नं0 13/1 में 0.19 है0, 14 ता 20 में प्रत्येक 0.253 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/2 में 0.229 है0, 23/1 में 0.228 है0, 24/1 में 0.228 है0, 25/1 में 0.228 है0 कुल 3.1010 है0 अनकमाण्ड भूमि का इन्द्रोबाई के मृत्यु उपरान्त वादीगण (1) हन्सासिंह उर्फ हन्सराज पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगांनगर वर्तमान निवासी चक 2 एस.जे.एम मोहनगढ़ जिला जैसलमेर (2)श्री मति बन्तो उर्फ हरबंसकौर पुत्री अमरसिंह पत्नि फौजासिंह जाति निवासी नई मन्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर राज0 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा अर्थात 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर व हरबन्स सिंह पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बी.एम. बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावें। व प्रतिवादीगण को पाबंन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से तक किसी प्रकार की मदाखलत बैजा ना करें।

हुक्म खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

<u>डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई</u>

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 223/2013 दायरा दिनांक 13.09.2013

(1) हन्सासिंह उर्फ हन्सराज पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगांनगर वर्तमान निवासी चक 2 एस.जे.एम मोहनगढ़ जिला जैसलमेर
(2) श्री मति बन्तो उर्फ हरबंसकौर पुत्री अमरसिंह पत्नि फौजासिंह जाति निवासी नई मन्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर राज0 – वादीगण –

बनाम

1. हरबन्स सिंह पुत्र अमरसिंह जाति रासिख निवासी चक 2 जी.बी.एम बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिल श्रीगंगानगर राज0
2. गुरदेवसिंह पुत्र बूटासिंह जाति रायसिख साकिन पननीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0
3. मिन्दो पत्नि हरबंश जाति रायसिख साकिन पननीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राज0
4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़। – प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री राकेश मन्चन्दा (अभिभाषक वादी)
2. श्री प्रेमन्दर सिंह भाटी (अभिभाषक प्रतिवादी 1 ता 3)

<u>वाद वास्ते घोषणा व अन्य अनुतोष 88, 91, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक</u> 24.12.2024

वाद अर्न्तगत धारा 88, 91, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है व जमाबन्दी चक 2 जी.बी.एम तहसील सूरतगढ़ के खाता सं0 8 सम्वत 2067 ता 2070 में इन्द्रोबाई पत्नी अमरसिंह के नाम अंकित प0नं0 55/11 के मु0नं0 50 किला नं0 13/1 में 0.19 है0, 14 ता 20 में प्रत्येक 0.253 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/2 में 0.229 है0, 23/1 में 0.228 है0, 24/1 में 0.228 है0, 25/1 में 0.228 है0 कुल 3.1010 है0 अनकमाण्ड भूमि का इन्द्रोबाई के मृत्यु उपरान्त वादीगण (1) हन्सासिंह उर्फ हन्सराज पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगांनगर वर्तमान निवासी चक 2 एस.जे.एम मोहनगढ़ जिला जैसलमेर (2)श्री मति बन्तो उर्फ हरबंसकौर पुत्री अमरसिंह पत्नि फौजासिंह जाति निवासी नई मन्डी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर राज0 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा अर्थात 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर व हरबन्स सिंह पुत्र अमरसिंह जाति रायसिख निवासी 2 जी.बी.एम. बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन किया जावें। व प्रतिवादीगण को पाबंन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से तक [illegible] की मदाखलत बैजा ना करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....x......मबलिग.............................खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....x.........फसदो की पालन......x........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़